

अध्याय-14 (मैनुअल -13)

रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं के संबंध में विवरण

1. विपणन शाखा द्वारा भण्डार क्रय नियम के अन्तर्गत आरक्षित वस्तुओं की दर का निर्धारण कर **Rate Contract** निष्पादित किये जाते हैं । इनके आधार पर संबंधित इकाई द्वारा शासकीय विभागों में सामग्री का प्रदाय किया जाता है ।
2. कोल परमिट
3. इकाई का पंजीयन विपणन शाखा द्वारा दिया जाता है ।